कार्यालय आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

<u>नियुक्ति हेतु विज्ञापन</u>

छत्तीसगढ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ 9–14/2015/25–1 नया रायपुर, दिनांक 17.10.2017 के द्वारा मंडल संयोजक के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास अधीनस्थ सेवा (तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय) भर्ती नियम–2011 के नियम 08 एवं अनुसूची 03 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्नलिखित मंडल संयोजक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार आॅनलाइन आवदेन पत्र आमंत्रित किया जाता है :–

1.	परीक्षा की तिथि	–	15 अप्रैल 2018 (रविवार)
2.	परीक्षा का समय	–	अपरान्ह 2:00 बजे से 5:15 बजे तक
3.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि	–	01.03.2018 (गुरूवार)
4.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	–	16.03.2018 (शुक्रवार) रात्रि 11:59 बजे तक
5.	व्यापमं की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि	–	09.04.2018 (सोमवार)
6.	परीक्षा केन्द्रः 05 संभागीय मुख्यालयों में	–	अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर

7. परीक्षा शुल्क –

सामान्य वर्ग – 350/–
अन्य पिछड़ा वर्ग – 250/–
अनु0जाति/अनु0 जनजाति/निःशक्तजन – 200/–

सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि की जाने वाली प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भरें, एक बार आवेदन पत्र सबमिट (जमा) होने के पश्चात् किसी प्रकार का सुधार या संशोधन संभव नहीं होगा।

आवेदन पत्र भरने से पहले व्यापमं के वेबसाइट **<u>cgvyapam.choice.gov.in</u>** पर उपलब्ध आवश्यक दिशा–निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़ें तथा उसमें उपलब्ध सेम्पल फार्म (नमूना फार्म) का अवलोकन करें।

<u>रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:–</u>

पदों का विवरण	अनारक्षित				अनुसूचित जनजाति					अनुसूचित जाति			अन्य पिछडा वर्ग				कुल योग
	मुक्त	महिला	निःशक्त	योग	मुक्त	महिला	मू.पू.सै.	निःशक्त	योग	मुक्त	मू.पू.सै.	योग	मुक्त	महिला	मू.पू.सै.	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
रिक्त पदों की संख्या	10	5	2	**17**	3	6	1	1	**11**	4	1	**5**	4	2	1	**7**	**40**

मंडल संयोजक के पद का वेतनमान :– वेतन बैण्ड रू. 5200–20200+ग्रेड वेतन 2800 ''वेतन मैट्रिक्स में लेवल 07, मूलवेतन रू 28700/–''

D:\Sthapna_3\2017\MS vacancy\Vacancy.doc

SR

19/2/18

शैक्षणिक अर्हताएं :–

स्नातक या उनके समकक्ष उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिनके पास मानव विज्ञान/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री/शिक्षा में स्नातक डिग्री हो। अधिमान से अभिप्रेत है यदि लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में सामान्य अंक प्राप्त होते है तो जिन अभ्यर्थियों के पास मानव विज्ञान/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री /शिक्षा में स्नातक डिग्री हो उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। उपरोक्त अर्हता के साथ सामान्य अंकों के मामले में जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

नियम व शर्तें :–

1. उपरोक्त रिक्त पद छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, रायपुर द्वारा सृजित पदों के आधार पर है। रिक्त पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है, पदों की संख्या कम/अधिक करने के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
2. सभी श्रेणियों में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।
3. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
4. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 150 अंको की लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी।
5. उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की विधि, ऑनलाईन फीस पेमेंट की विधि, ऑफलाईन फीस पेंमेट की विधि, ऑनलाईन प्रवेश पत्र प्राप्त करने की विधि, अंक विभाजन सहित परीक्षा के पाठ्यक्रम तथा अन्य विस्तृत जानकारी व्यापम के वेब साईट **cgvyapm.choice.gov.in** पर आवेदन करने की तिथि से देखा जा सकता है।
6. आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण–पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य होगा। आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतें, बाद में अभ्यर्थी के द्वारा तिथि, विषय, वर्ग, निःशक्तता इत्यादि में परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
7. उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. निःशक्त अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी (चिकित्सा बोर्ड) द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक के ही निःशक्तता प्रमाण–पत्र को मान्य किया जायेगा।
9. आयु सीमा दिनांक 01.01.2018 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं राज्य शासन द्वारा देय सभी छुटों को मिलाकर अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए। आयु सीमा में छूट राज्य शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार होगी।
10. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा एवं चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना रिक्त पदों के आधार पर की जावेगी। पदस्थापना के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
11. चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. चयनित उम्मीदवारों को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने एवं जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।
13. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है अतएव नियुक्ति की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं होने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।
14. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित सभी योग्यताएं पूर्ण होनी चाहिए उसके पश्चात् प्राप्त की गई कोई भी योग्यता को मान्य नहीं किया जाएगा।

Reena 19/2/18

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नया रायपुर, छत्तीसगढ़